

[2023] 6 एस. सी. आर 412

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

ए.

राजकुमार

बी.

उत्तर प्रदेश राज्य

2022 का विविध आवेदन संख्या 2169

बी.

में।

(2022 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 36) फरवरी 06,2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला, जे जे।]

सी.

उत्तर प्रदेश कैदी (परिवीक्षा पर रिहाई) अधिनियम 1938-उत्तर प्रदेश कैदी (परिवीक्षा पर रिहाई) नियम 1938-भारतीय दण्ड संहिता सी. के तहत दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की दोषसिद्धि पाए व्यक्तियों की समय से पहले रिहाई, राशिदुल जाफर मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश-उक्त फैसले और दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई की मंजूरी के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करने के बावजूद, नीति के संदर्भ में मामलों से निपटा नहीं जा रहा था-आयोजित:जिस राज्य ने समय से पहले रिहाई के मामलों को तय करने के लिए नियम और एक स्थायी नीति तैयार की है, वह अपने स्वयं के कानून के निर्माण से बाध्य है-समय से पहले रिहाई के मामलों को उठाने के लिए एक मनमाना पैमाना अपनाने के लिए राज्य के लिए यह खुला नहीं है-उसे अपनी नीतियों की शर्तों का सख्ती से पालन करना चाहिए-समय से पहले रिहाई के लिए प्रत्येक मामले का फैसला कानूनी स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि यह दोषसिद्धि की तारीख पर है, बशर्ते कि बाद में नीतिगत निर्धारण के संदर्भ में अधिक लाभकारी व्यवस्था प्रदान की जा रही हो-कानून के प्रावधान सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए-उन 50 कैदियों में से जिनके मामले सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाए गए हैं, सभी लंबित मामलों का निपटान जारी किए गए

निर्देशों के संदर्भ में 30.04.2023 पर या उससे पहले किया जाना चाहिए-अनुपालन रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए। 433 ए, 423-भारत का संविधान-अनुच्छेद 161।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

412 ए.

413

राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए

राशिदुल जाफर @छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और

एन. आर. 2019 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 336; हरियाणा राज्य बनाम जगदीश (2010) 4 एस. सी. सी. 216:[2010] 3 एससीआर

716 ; हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार (2021) 9 एससीसी 292

- पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

बी.

[2010] 3 एससीआर 716

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

(2021) 9 एससीसी 292

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 36 में 2022 का विविध आवेदन संख्या 2169। डब्ल्यू. पी. में 11.03.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से। (सीआरएल।) भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 2022 की सं. 36।

सी.

नागेंद्र सिंह, सुश्री आकांक्षा, आशीष पांडे, नमन राज सिंह, डॉ. अमरदीप गौर, मेसर्स वी. माहेश्वरी एंड कंपनी, एड.याचिकाकर्ता के लिए।विष्णु शंकर जैन, ऋषि मल्होत्रा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. 6 सितंबर 2022 को इस अदालत ने राशिदुल मामले में अपने फैसले में

ई.

जाफर @छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. **1** ने कई जारी किए

भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की दोषसिद्धि पाए व्यक्तियों की समय से पहले रिहाई को नियंत्रित करने वाले निर्देश।

2. उपरोक्त निर्णय के बाद, इस न्यायालय को व्यक्तिगत दोषियों की समय से पहले रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं में बार-बार स्थानांतरित किया गया है क्योंकि समय से पहले रिहाई के लिए उनके मामलों पर विचार नहीं किया गया है।

एफ.

3. उत्तर प्रदेश कैदी (परिवीक्षा पर रिहाई) अधिनियम 1938 के तहत, आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समय से पहले रिहाई के मामलों और राज्य की जेलों में सजा काट रहे 2019 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 336 पर फॉर्म 'ए' के तहत विचार किया जाता है।उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश कैदी (परिवीक्षा पर रिहाई) नियम 1938 तैयार किए।नियमों का नियम 4 निम्नलिखित शब्दों में है:-

जी.

एच.

1 2019 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 336

414

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

“4. रिलीज के लिए योग्यता।— नियम 3 में निर्दिष्ट कैदी के अलावा कोई भी कैदी, लाइसेंस पर रिहाई के लिए राज्य सरकार द्वारा विचार के लिए पात्र हो सकता है -

(i) यदि वह एक कैदी है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433-ए लागू होती है और उसने कुल चौदह साल की अवधि के लिए कारावास की सजा काट ली है;

बी.

((ii) यदि वह आजीवन कारावास की सजा पाने वाला कैदी है, जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433-ए लागू नहीं होती है और उसने छूट के साथ कुल चौदह वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा काट ली है; और

सी.

((ग) किसी अन्य मामले में यदि उसने कारावास की अवधि की छूट के बिना एक तिहाई की सजा काट ली है, जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई थी।” इस प्रकार, समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया पर उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में विचार किया जा रहा था।

4. उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 433 ए के साथ पठित धारा 432 और उत्तर प्रदेश जेल नियमावली के पैराग्राफ 198 (बाद में जेल नियमावली 2022 के पैरा 180 द्वारा प्रतिस्थापित) के संदर्भ में कैदियों की एक 'नाममात्र सूची' तैयार की जाती है। इसके अलावा, राज्य में जेलों में बंद बीमार और विकलांग व्यक्तियों की समय से पहले रिहाई को नियंत्रित करने वाली उत्तर प्रदेश जेल नियमावली के पैराग्राफ 195, 196 और 197 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के संदर्भ में कैदियों की एक 'दुर्बलता सूची' तैयार की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोषियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा प्रस्तुत दया याचिकाओं पर भी राज्य के राज्यपाल द्वारा विचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत आने वाले आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए एक स्थायी नीति तैयार की है। राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2018 को एक स्थायी नीति तैयार की। बाद में 27 मई 2022 को नीति में संशोधन किया गया।

डी.

ई.

एफ.

5. इस न्यायालय के कई फैसलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी का मामला लागू नीति द्वारा नियंत्रित होता है

जी.

दोषसिद्धि की तारीख को [हरियाणा राज्य बनाम जगदीश 3 और हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार 4]।

2 "सीआरपीसी "

3 (2010) 4 एससीसी 216 4 (2021) 9 एससीसी 292 ए

एच.

415

राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

6. 1 अगस्त 2018 को तैयार की गई उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी नीति (2021 में संशोधित) में 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले दोषियों को समय से पहले रिहा करने पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध की वैधता को इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मामलों के एक समूह में चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः राशिदुल जाफर (उपरोक्त) का फैसला आया। 27 मई 2022 की बाद की नीति में, एक दोषी के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समय से पहले रिहाई के मामलों पर विचार करने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसलिए इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, जो नीति दोषसिद्धि की तारीख को अस्तित्व में थी, वह समय से पहले रिहाई के लिए प्रत्येक मामले के विचार को नियंत्रित करेगी, यदि बाद में एक अधिक उदार नीति स्थापित की जाती है, तो मामले पर अधिक उदार प्रावधान के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

7. राशिदुल जाफर में इस अदालत के फैसले के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत में बार-बार मामले लाए जा रहे थे, जहां दोषी समय से पहले रिहाई की मंजूरी के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करने के बावजूद, मामलों को नीति के संदर्भ में नहीं देखा जा रहा था।

डी.

8. 5 जनवरी 2023 को, वर्तमान मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया जिसमें पुलिस महानिदेशक को निम्नलिखित समझाते हुए एक हलफनामा दायर करने की आवश्यकता थी:

ई.

“(i) पूर्व-परिपक्व रिहाई के मामलों पर विचार करने के लिए राशिदुल जाफर @छोटा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में जो कदम उठाए गए हैं और जो

संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं; (ii) उत्तर प्रदेश राज्य में जिलेवार कितने दोषी पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं;

एफ.
(iii) राशिदुल जाफर @छोटा (ऊपर) मामले में इस अदालत के फैसले के बाद से पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए कितने मामलों पर विचार किया गया है;

जी.
((iv) कितने मामलों पर विचार किया जाना बाकी है; और
(v) वह समय अवधि जिसके भीतर मामलों पर विचार किया जाएगा।”9. उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, जेल महानिदेशक द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है।उत्तर प्रदेश राज्य में बनाए गए शासन के अलावा (जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में उल्लेख किया गया है)

एच.
416
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2023] 6 एस सी आर।

यह आदेश), हलफनामा समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के योग्य दोषियों के जिलेवार डेटा और विचाराधीन मामलों की संख्या निर्धारित करता है।31 दिसंबर 2022 तक, उत्तर प्रदेश राज्य में 1,15,163 कैदी हैं, जिनमें से 88,429 विचाराधीन कैदी हैं।26, 734 दोषी हैं जिनमें से 16,262 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।हलफनामे में कहा गया है कि 2,228 दोषी कैदियों ने 14 साल का वास्तविक कारावास (1938 के नियमों के संदर्भ में जो दोषसिद्धि की तारीख पर प्रचलित थे) पूरा कर लिया है और वे समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।निम्नलिखित कथन उस चरण को इंगित करता है जिस पर ये मामले समय से पहले रिहाई के अनुदान के लिए विचाराधीन हैं।

बी.
सी.

डी.

10. कारागार महानिदेशक द्वारा दायर हलफनामे से संकेत मिलता है कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में समय से पहले रिहाई के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत 3,729 कैदियों को रिहा किया गया है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि संशोधित नीति के संदर्भ में, समय से पहले रिहाई के लिए पात्र कैदियों को दस वार्षिक अवसरों पर रिहा किया जाता है, अर्थात्:

ई.

एफ.

“गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), श्रम दिवस (1 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शिक्षक दिवस (05 सितंबर), गांधी जयंती (02 अक्टूबर), अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (16 नवंबर) और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर)।”

जी.

6 सितंबर 2022 और 31 दिसंबर 2022 के बीच 731 दोषियों के मामलों को समय से पहले रिहा करने पर विचार किया गया।

11. इस न्यायालय के समक्ष जो विशिष्ट शिकायत लाई गई है, वह 50 कैदियों से संबंधित है। इन 50 कैदियों के संबंध में, ए

एच.

417

राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

शपथपत्र के साथ संलग्न सारणीबद्ध कथन उन मामलों के विचार की स्थिति को इंगित करता है:

बी.

सी.

डी.

12. श्री ऋषि मल्होत्रा, अधिवक्ता से इस अदालत ने न्यायमित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया है। न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत नोट इंगित करता है कि मूल समस्या राज्य सरकार द्वारा पिक एंड चॉइस नीति अपनाने में निहित है। न्यायमित्र प्रस्तुत करता है कि यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि 1 अगस्त 2018 से पहले की है (वह तिथि जिस पर स्थायी नीति को मूल रूप से अधिसूचित किया गया था), उत्तर प्रदेश कैदी अधिनियम, 1938 को लागू करने के बजाय, जिसके संदर्भ में एक दोषी जो 14 साल की वास्तविक सजा काट चुका है, समय से पहले रिहाई के लिए पात्र है, अधिकारी दोषी को 16 साल की वास्तविक सजा का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाद की नीति के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार किया जा सके।

ई.

एफ.

13. जिस राज्य ने समय से पहले रिहाई के मामलों पर निर्णय लेने के लिए नियम और एक स्थायी नीति तैयार की है, वह अपने स्वयं के कानून बनाने से बाध्य है। चूंकि ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जो इस क्षेत्र को संभालते हैं, इसलिए समय से पहले रिहाई के लिए मामलों को उठाने के लिए एक मनमाना पैमाना अपनाने के लिए राज्य खुला नहीं है। इसे कानून के मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों की शर्तों का सख्ती से पालन करना चाहिए कि प्रत्येक मामले में समय से पहले

जी.

एच.

रिहाई का निर्णय कानूनी स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि यह दोषसिद्धि की तारीख पर है, बशर्ते कि बाद में नीति निर्धारण के संदर्भ में अधिक लाभकारी व्यवस्था प्रदान की जा रही हो। कानून के प्रावधान सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। इसके अलावा, उन प्रावधानों को कुशलता से और पारदर्शी रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि इस शिकायत को दूर किया जा सके कि नीति को समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए असमान रूप से लागू किया जा रहा है। राज्य द्वारा अपनाया गया एक मनमाना तरीका गंभीर दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए उत्तरदायी है जहां संसाधनों, शिक्षा और जागरूकता की कमी वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक नुकसान होता है।
बी.

14. जिन 50 व्यक्तियों के मामले इस अदालत के संज्ञान में लाए गए हैं, जैसा कि पहले कहा गया है, उनमें से तीन को रिहा कर दिया गया है, एक को बरी कर दिया गया है और एक को सजा पूरी करने पर रिहा कर दिया गया है। दो व्यक्तियों के मामले में उनकी समय से पहले रिहाई को खारिज कर दिया गया है। एक व्यक्ति को अनिवार्य कारावास के चौदह साल पूरे नहीं करने पर समय से पहले रिहाई के लिए अयोग्य कहा जाता है। शेष लंबित मामलों में से पांच मामले जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर लंबित हैं; 25 मामले मुख्यालय (जेल) में लंबित हैं जबकि 12 मामले राज्य सरकार के पास लंबित हैं।

सी.

डी.

15. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी लंबित मामलों का निपटारा 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले किया जाएगा और जेल महानिदेशक द्वारा हलफनामे पर इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन की रिपोर्ट दायर की जाएगी।

ई.

16. विविध आवेदन 4 मई 2023 को अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

दिव्या पांडे

निर्देश जारी किए गए।

एफ.

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.